



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, झारखण्ड, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjhk@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक: 1A-लेखा - 01/2014-15 -2750

दिनांक: 20.8.15

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं
एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।
सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक।

विषय: मासिक लेखा का ससमय संधारण, अग्रिम समायोजन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कारवाई करने के संबंध में।

प्रसंग- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का ज्ञापांक-7/अंके0-02/2013 4303 व0प0, राँची, दिनांक 07.08.2015।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र जो सरकार के स्तर से आपको एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों को सीधे भेजा गया है, का कृपया अवलोकन किया जाय जो स्वतः स्पष्ट है। ज्ञातव्य हो कि वन विभाग के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा अपने कार्यालय का मासिक लेखा ससमय महालेखाकार, (लेखा एवं हक) झारखण्ड, राँची को नहीं भेजा जा रहा है। इस संदर्भ में प्रत्येक माह में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को स्मारित कर लेखा ससमय भेजने हेतु अनुरोध प्राप्त हो रहा है।

अतः अनुलग्नक के रूप में भेजे जा रहे वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक- वित्त-7/वि0नि0-08/2008-2009/वि0, राँची दिनांक 21.07.2015 में निहित निर्देशों के आलोक में अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लेखा महालेखाकार कार्यालय में ससमय भेजने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा की जाय ताकि वित्त विभाग द्वारा दिये गये सुझाव का अनुपालन हो सके। साथ ही लेखा समर्पण की स्थिति की समीक्षा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के अन्त में अवश्य कर लें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0-यथो0।

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक: 2750

दिनांक: 20.8.15

प्रतिलिपि: Envis Cell को वेबसाईट पर "PCCF instruction" tab में अपलोड करने हेतु। सभी डी0डी0ओ0 को वेबसाईट के माध्यम से सूचनार्थ। Envis Cell इसे होम पेज पर Scroll भी करवायें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।